E-mail

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

संख्याः–8 / आ0(राज0उ0)–2–08 / 2015 2795 / श्री तारिक महमूद, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद (मुख्यालय) के विरूद्ध कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के फलस्वरूप फर्जी चालान के माध्यम से सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाना, प्रशासनिक क्षमता का अभाव के कारण अधीनस्थ कर्मियों / कार्यालय पर प्रभावकारी नियंत्रण का अभाव एवं निजी स्वार्थ के लिए पद का दुरूपयोग कर अनुज्ञाधारियों को अनुचित लाभ पहुँचाकर सरकारी राजस्व का गबन करना आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0– 335 दिनांक 19.01.2016 सह पठित संकल्प सं0–1541 दिनांक 18.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक–357 दिनांक 01.08.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें निष्कर्षित किया गया है कि आरोप संख्या–01 प्रमाणित ,02 एवं 03 प्रमाणित नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–3626 दिनांक 22.08.2017 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी। श्री महमूद द्वारा दिनांक 24.10.2017 को विभाग में अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें आरोप से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री महमूद के तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–635 दिनांक 23.02.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ने अपने पत्रांक–520 दिनांक 25.05.2018 द्वारा परामर्श दिया गया कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री तारिक महमूद, तत्का0 निरीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद (मुख्यालय) को वर्ष 2013–14 के प्रतिवेदित आरोप के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (1) के तहत् ' निन्दन' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

4. इस पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(देवकीनन्दन दास)
सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8 / आ0(राज0उ0)–2–08 / 2015 पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 8 / आ0(राज0उ0)–2–08 / 2015 2795 पटना, दिनांकः– 10.08.18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना / अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार पटना / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5 / आई0टी0 मैनेजर एवं श्री तारिक महमूद, तत्का0 प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, मुंगेर सम्प्रति निरीक्षक उत्पाद (मुख्यालय) सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10/8/18

सरकार के उप सचिव
बिहार, पटना।